

:: रिमाण्ड ड्यूटी आदेश ::

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 13 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह **मई, 2025** की अवधि के लिए कॉलम संख्या 2 अंकित अवकाश की दिनांकों में संपूर्ण अजमेर न्यायक्षेत्र के लिए फौजदारी मामलों में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालिक कथन व अन्य आवश्यक प्रकृति के फौजदारी कार्यों की सुनवाई करने हेतु कॉलम संख्या-3 में अंकित पीठासीन अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है :-

क्रम संख्या	अवकाश की दिनांक	अधिकारी का नाम एवं पद
1	04.05.2025	श्री तृप्ति जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-03, अजमेर
2	10.05.2025 व 11.05.2025	श्री विजेन्द्र कुमार मीणा, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण), संख्या-4, अजमेर
3	18.05.2025	श्रीमती बबीता वर्मा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर नगर दक्षिण अजमेर
4	24.05.2025 व 25.05.2025	श्री भावना सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या-06, अजमेर
5	29.05.2025	श्रीमती हिमानी जैन, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन आई एक्ट प्रकरण), संख्या-2, अजमेर

नोट :-

01 उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्यदिवस के कार्यालय समय पश्चात् से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्यदिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी।

02 सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से समय 11:00 ए.एम. से 1:00 पी.एम. तक अपने न्यायालय में आवश्यक स्टाफ के साथ उपस्थित रहेंगे एवं शेष समय के लिए अपने निवास से उपरोक्त कार्य निष्पादित करेंगे।

(प्रकाश चन्द्र मीणा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अजमेर

दिनांक:- 25.04.2025

क्रमांक:- 1187-1194

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है :-

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अजमेर।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर मुख्यालय।
3. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर।
4. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, अजमेर।
5. उप निदेशक, अभियोजन, अजमेर।
6. पुलिस कन्ट्रोल रूम, अजमेर आज ही सभी थानों पर संदेश प्रसारित करे।
7. प्रोटोकाल आफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर।
8. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को जिला न्यायालय, अजमेर की वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. प्रभारी अधिकारी, पूल वाहन, अजमेर।
10. नोटिस बोर्ड न्यायालय अजमेर।

(प्रकाश चन्द्र मीणा)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

अजमेर